न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2015 पुनरीक्षण निग. 3607-पी/2015

श्री मुकेश भार्गव एड.
द्वारा आज दि. 30-10-15 को
प्रस्तुत
30-10-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
30-10-15 एडवोकेट
ग्वालियर

1. शेषमणि पुत्र गंगाप्रसाद पाण्डेय
   निवासी लखनपुर तह. सेमरिया जिला रीवा
2. रामावतार पुत्र हनुमान प्रसाद
   निवासी उमरिया तह. सेमरिया जिला रीवा

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. हेमराज 2. राजेन्द्र प्रसाद
3. मिथलेश प्रसाद 4. द्वारिका प्रसाद
   पुत्रगण स्व. जगतदेव प्रसाद
   निवासीगण सेमरिया तह. सेमरिया जिला रीवा (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

<u>न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र.कं. 939/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, यह तथ्य निर्विवादित रूप से सत्य है कि उक्त भूमि रामनारायण स्वतः की भूमि थी। रामानारायण से उक्त भूमि रामसहाय के तीनों पुत्रों ने

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R:3607/II/15 जिला रीवा

श्री प्रभाती हेमराज

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.12.15	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया तथा प्रकरण के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित प्रति का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दि. 22-9-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अपर आयुक्त के न्यायालयीन प्रकरण में स्थगन का आवेदन यह कहते हुए निरस्त किया गया कि " अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन हो चुका है. रिस्पो. का नाम खसरा में अंकित हो चुका है। ऐसी दशा में स्थगन आवेदन धारा 52 निरस्त किया गया। प्रकरण में अंकित तथ्यों पर बारीकी से विचार किया गया। चूंकि अधी० न्याया०के आदेश का क्रियान्वयन हो चुका है एवं प्रकरण में अंतिम निर्णय हेतु अधी० न्याया० अपर आयुक्त द्वारा अधी० न्यायालय का अभि० तलब करने हेतु आदेश दिए गये हैं ऐसी स्थिति में इस स्तर पर इस निगरानी के माध्यम से प्रकरण में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त तथ्यों एवं स्थितियों में प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित	

[कृ. प. उ.

R.3607/11/15 रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	शेषभाग हेमराज	
	आधार न होने से निगरानी ग्राह्य की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा० दि० हो।	
	1.12.15 सदस्य	

शाक्षेमुरवा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.